विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 19 जून, 2009 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 34वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की चौंतीसवीं (34वीं) बैठक श्री राहुल खुल्लर, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 19 जून, 2009 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 568 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 315 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि इस अल्प अवधि के दौरान एसईजेड में 1,08,903 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 3,87,439 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान एसईजेड से 99,689 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2007-08 के दौरान किए गए निर्यात की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक है।

मद संख्या 34.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. बारासट, पश्चिम बंगाल में 11.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटीईएस सहित आईटी इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 34.1 - क्रमांक i) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बारासट, पश्चिम बंगाल में 11.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटीईएस सहित आईटी इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. शमीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 20.44 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने शमीरपेट मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 20.44 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ख) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में 592 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स लिमिटलेस प्रापर्टीज लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 34.1 - क्रमांक ii) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तथा राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में 592 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स लिमिटलेस प्रापर्टीज लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 33.4 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए सभी संस्वीकृत प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह नीचे उल्लिखित सह विकासकों के सभी मामलों पर लागू है :

(i) मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कार्ले ओ एंड एम सर्विसेज का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मैसर्स कार्ले ओएंडएम सर्विसेज के प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि नोट किया गया कि प्रस्ताव अवसंरचना के विकास के लिए न होकर प्रचालन एवं अनुरक्षण की सेवाएं प्रदान करने के लिए है। तद्नुसार, महसूस किया गया कि आवेदक को यूनिट के रूप में आना चाहिए। इसके बाद विकासक ने कुछ अवसंरचना के सृजन एवं विकास के लिए सह विकासक करार का शुद्धि पत्र प्रस्तुत किया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स कार्ले ओएंडएम सर्विसेज के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार करने का निर्णय लिया कि आवेदक केवल अवसंरचना के संबंध में एक व्यापक संशोधित सह विकासक करार प्रस्तुत करे जिस पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा बाद में विचार किया जा सकता है।

(ii) मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ओगनाज गांव, दसक्रोई तालुक, अहमदाबाद जिला, गुजरात में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कंबाइन रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम ओगनज, तालुक दसक्रोई, जिला अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित करने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 6187 वर्गमीटर के क्षेत्र में आईटी अवसंरचना के विकास के लिए उक्त एसईजेड में मैसर्स कंबाइन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टाडा, आंध्र प्रदेश में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ए एस कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 50000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में आरबीएफ के निर्माण के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनी बैठक दिनांक 23 फरवरी 2009 में विकासक को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। वर्तमान प्रस्ताव आरबीएफ के निर्माण के लिए एक सह विकासक को शामिल करने के लिए है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने टाडा, आंध्र प्रदेश में मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित करने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में 50 एकड़ के क्षेत्रफल में "रेडी बिल्ट फैक्ट्री" (आरबीएफ) का निर्माण करके अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक के लिए मैसर्स एएस कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा भड़ूच, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए जीआईडीसी का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि आवेदक ने सह विकासक करार के स्थान पर एमओयू प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, उपबंध 9 के माध्यम से एमओयू में भी यह निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक पक्ष के अधिकारों एवं बाध्यताओं तथा वाणिज्यिक शर्तों का भी उल्लेख करते हुए एक विस्तृत करार किया जाएगा और पक्षों के बीच यथाशीघ्र निष्पादित किया जाएगा। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स जीआईडीसी के अनुरोध को यह कहते हुए आस्थगित करने का निर्णय लिया कि वे अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ विस्तृत सह विकासक करार प्रस्तुत करें।

मद संख्या 33.6 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अधिकृत प्रचालनों के प्रस्तावों पर विचार किया तथा अनुमोदन प्रदान करते समय ये 24 अक्टूबर 2008 को आयोजित बैठक में ईजीओएम द्वारा अनुमोदित विकास दिशानिर्देश के अधीन थे जिन्हें 8 दिसंबर, 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा नोट किया गया। तद्नुसार, विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकृत प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

(i) तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सीसीसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	प्रशासनिक / संपदा कार्यालय	2,000	2,000
2.	कामर्सियल कॉम्प्लेक्स	30,000	30,000
3.	मल्टीप्लेक्स	2,000	अनुमोदित नहीं
4.	व्यवसाय केन्द्र / सम्मेलन केन्द्र	25,00	25,00
5.	कम्युनिटी हाल	1,000	1,000
6.	मनोरंजन केन्द्र	500	500
7.	स्कूल	2,000	2,000
8.	गोल्फ कोर्स	20,000	अनुमोदित नहीं
9.	आवासीय / आवासन परिसर / अतिथि गृह / सेवा अपार्टमेंट्स	90,000	720 X 125 वर्गमीटर - ड्वेलिंग यूनिट जिनका प्रयोग रेजीडेंस / गेस्ट हाउस / सर्विस अपार्टमेंट के रूप में किया जाएगा
10.	हेल्थ क्लब / चिकित्सा केन्द्र / क्लीनिक	3,000	50 बिस्तर वाला अस्पताल
11.	डीजी सेट	600	600

(ii) बहरामपुर गांव, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीपी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया क्योंकि एक अधिवक्ता नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें आवेदक द्वारा अधिग्रहीत भूमि को चुनौती दी गई है।

(iii) साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	12,000	12,000
2.	सर्विस अपार्टमेंट	15,000	15,000

(iv) गचिबाउली, हैदराबाद में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	17,000	17,000

(v) सेक्टर 30, सिलोखेड़ा गांव, गुड़गांव में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस बात को ध्यान में रखते हुए गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि आवास के लिए मांगा गया अनुमोदन सामान्य सेवा के रूप में डीएलएफ लिमिटेड के सहायक एसईजेड के संबंध में है। अत: आवास के लिए मात्रा उचित प्रतीत होती है और अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार मात्रा के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स /	38,000	38,000

	कार्यालय स्थान		
2.	कर्मचारियों के लिए आवास	1,07,000	375 यूनिट x 115 वर्गमीटर

(vi) चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	17,000	17,000
2.	सर्विस अपार्टमेंट	22,000	22,000

(vii) अहमदाबाद, गुजरात में इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एनजी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	सुरक्षा कार्यालय, प्रवेश द्वार, एसईजेड के अंदर और चारदीवारी के समानांतर सुरक्षा प्रणाली के साथ वाच टावर	1000	1000
2.	प्रशासनिक कार्यालय, फौव्वारा	1000	1000
3.	क्लब हाउस, इंडोर और आउटडोर गेम्स एवं	10000	10000

	जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं		
4.	कर्मचारी सुविधाएं जैसे कि एटीएम	100	100
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1000	1000
6.	कार्यपालक फूड कोर्ट	1000	1000
7.	अतिथियों, आगंतुकों के लिए पार्किंग तथा रेस्ट रूम के साथ ट्रक पार्किंग, सर्विस स्टेशन, तोल सेतु, बस बे / स्टॉप	10000	10000
8.	हरित क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए नर्सरी	10000	10000
9.	पुनर्चक्रित अपशिष्ट जल के प्रयोग की सुविधा		
10.	गहरे ट्यूबवेल तथा रिसाव कूपों के माध्यम से वर्षा जल का पुनर्भरण		
11.	शॉपिंग आर्केड / रिटेल सर्विसेज	1000	1000
12.	आवासीय		
क	सर्विस अपार्टमेंट	3000	3000
ख	$1^{1/2}$ बीएचके	100 x 60	100 यूनिट x 60
ग	$1^{1/2}$ बीएचके	100 x 120	100 यूनिट x 120
घ	3 बीएचके	50 x 150	50 यूनिट x 150
ड.	4 बीएचके	20 x 200	20 यूनिट x 200
13.	शैक्षिक		
क	इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	8000	8000
ख	प्राथमिक स्कूल, कॉलेज	5000	5000
14.	फायर फाइटर्स के साथ फायर स्टेशन	200	200
15	एयर कंडिशनिंग		
16.	स्वीमिंग पूल		
17.	पावर तथा पावर बैकअप सिस्टम (अपेक्षित क्षमता के डीजी सेट)		
18.	पेट्रोल पंप	3000	3000
19.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1000	1000

प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के संबंध में विकासक संबंधित विकास आयुक्त से संपर्क कर सकता है।

(viii) अनेकल तालुक, बंगलौर जिला, कर्नाटक में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स बायोकॉन लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने सारणी में उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	क्रेच	240.00	240.00
2.	व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र	178.43	178.43
3.	जिम / हेल्थ क्लब	58.20	58.20

मद संख्या 34.4 : मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा गांव एवं तालुक मुंद्रा, जिला कच्छ, गुजरात में स्थापित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक मैसर्स इऑन हिंजेवाड़ी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में अनुमोदित अधिकृत प्रचालनों में संशोधन

23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मैसर्स इऑन हिंजेवाड़ी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई। उनको गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया है। तथापि, फर्म के आवेदन में इस बात का उल्लेख नहीं था कि अधिकृत प्रचालनों का संचालन गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में होगा या प्रसंस्करण क्षेत्र में। अनुमोदन बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की। फर्म ने अब निवेदन किया है कि चूंकि उनको गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सह विकासक के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है इसलिए गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों के लिए उनके अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जा सकती है।

चार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में पहले अनुमोदित अधिकृत गतिविधियों के संचालन की अनुमति प्रदान करते हुए ग्राम एवं तालुक मंद्रा, जिला कक्ष, गुजरात में मैसर्स मुद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा स्थापित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इऑन हिंजेवाड़ी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए अनुमोदन को संशोधित करने का निर्णय लिया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)

1.	**सर्विस अपार्टमेंट / होटल**	**15000 (100 वर्गमीटर के औसत निर्मित क्षेत्र के साथ 150 कमरे)**	**15000 (100 वर्गमीटर के औसत निर्मित क्षेत्र के साथ 150 कमरे)**
	सर्विस अपार्टमेंट में निम्नलिखित सहायता सुविधाएं होंगी :		
(क)	स्वीमिंग पूल	150	150
(ख)	मनोरंजन क्लब	500	500
(ग)	जिम	150	150
(घ)	सम्मेलन हाल	500	500
(ङ)	कार्यपालक व्यवसाय केन्द्र	500	500
(च)	फूड कोर्ट	300	300

मद संख्या 34.5 : अधिसूचित एसईजेड को विखंडित करने तथा हस्तशिल्प सेक्टर में फर्नीचर की मदों को शामिल करने के लिए मैसर्स मानसरोवर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अनुरोध

उक्त एसईजेड 131 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया। अब विकासक ने आईटी संबद्ध सेवाओं के लिए अधिसूचित एसईजेड से 10 हेक्टेयर लेने के लिए अनुरोध किया है। चूंकि 10 हेक्टेयर को बाहर करने के बाद भी विकासक के पास 121 हेक्टेयर भूमि पड़ी रहेगी जो हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए अपेक्षित 10 हेक्टेयर के न्यूनतम क्षेत्रफल की तुलना में काफी अधिक है। द्वितीयत:, आवेदक ने हस्तशिल्प क्षेत्र में फर्नीचर की मदों को शामिल करने का भी अनुरोध किया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने आईटी संबद्ध सेवाओं के लिए 10 हेक्टेयर को बाहर करने के लिए मंजूरी प्रदान की जिसके लिए विकासक नई अधिसूचना के लिए अनुमोदन बोर्ड से संपर्क करेगा। द्वितीयत:, विकासक को हस्तशिल्प एसईजेड में केवल मानव निर्मित फर्नीचर को शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है।

मद संख्या 34.6 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) महेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 26 अक्टूबर, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जे टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

25 अक्टूबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(ii) रोजे का गुज्जर, गुड़गांव जिला, हरियाणा में बहु सेवा एसईजेड के लिए 15 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बेंटेक्स टावर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

14 नवंबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(iii) कृष्णराज पुरम, हुबली, व्हाइटफील्ड, बंगलौर पूर्व, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 9 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स श्यामराजू एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

8 जून 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(iv) सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 22 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स दिव्यश्री एनएसएल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

21 अगस्त 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(v) सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 16 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एल एंड टी फोनिक्स इनफोपार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

15 जून 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(vi) शालिंगनल्लुर, तंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 22 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

21 अगस्त 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(vii) रविरियाल गांव, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 26 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टार्गेज प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

25 अक्टूबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(viii) झुंड सराय विरान एवं भंगरोला, पटौदी रोड, गुड़गांव में आईटी एसईजेड के लिए 14 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सनसिटी हरियाणा एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

13 नवंबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(ix) भोंडसी, तहसील सोहना, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 6 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स असेंडेंट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

5 नवंबर 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(x) रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में रत्न एवं आभूषण एसईजेड के लिए 09 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

एक साल के लिए 8 नवंबर, 2010 तक अवधि बढ़ाई गई।

(xi) मगरपट्टा सिटी, गांव हदाप्सर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड के लिए 21 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मगरपट्टा टाउनशिप डवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

20 अगस्त 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xii) सिपकोट, सिरुसेरी में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 22 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कॉग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

21 अगस्त, 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई।

(xiii) कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 24 अक्टूबर, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xiv) हाइटेक सिटी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 21 जून, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

एक साल के लिए 20 जून, 2010 तक अवधि बढ़ाई गई।

(xv) थोटलाकोंडा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 15 जून, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

(xvi) बहादुरपल्ली गांव, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 19 जून, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

(xvii) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 26 जून, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए डॉ. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एक साल के लिए 25 जून, 2010 तक अवधि बढ़ाई गई।

(xviii) हिंजेवाड़ी, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 28 अगस्त, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

27 अगस्त 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xix) सिरुसेरी, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 9 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

8 जून 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xx) वेरना औद्योगिक क्षेत्र, गोवा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 9 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पैराडिगम लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

8 जून 2010 तक एक साल के लिए अवधि बढ़ाई गई है।

(xxi) शंकरपल्ली मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 27 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स लहरी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

एक साल के लिए 26 नवंबर, 2010 तक अवधि बढ़ाई गई।

(xxii) पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 6 नवंबर, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मंजरी स्टड फार्म प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एक साल के लिए 5 नवंबर, 2010 तक अवधि बढ़ाई गई।

(xxiii) बेल्लांडूर अमनी काने, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 26 अक्टूबर, 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स दिव्यश्री इनफ्रास्ट्रक्चर का अनुरोध

एक साल के लिए 25 अक्टूबर, 2010 तक अवधि बढ़ाई गई।

अनुमोदन बोर्ड ने इन मामलों में एक साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

मद संख्या 34.7 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध

(i) नवी मुंबई, महाराष्ट्र में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स के रहेजा युनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने बताया है कि आईटी उद्योग में बहुत अधिक दबाव है जिसकी वजह से अनेक आईटी कंपनियां अपनी जनशक्ति तथा अपनी विस्तार योजनाओं में कटौती कर रही हैं। विकासक के मामले में अब तक विकास / निर्माण की कोई गतिविधि नहीं है और उन्होंने अब तक कोई राजकोषीय लाभ प्राप्त नहीं किया है। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन विकासक के अनुरोध पर विचार करने का निर्णय लिया कि विकास आयुक्त, एसईईपीजेड यह प्रमाणित करें कि विकासक ने सभी केन्द्रीय एवं राज्य देय वापस कर दिए हैं। वर्तमान के लिए, अनुमोदन बोर्ड द्वारा विमुक्तीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई तथा विकास आयुक्त का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

(ii) रहेजा इनफो सिटी 1, थाणे क्रीक औद्योगिक क्षेत्र, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि के कुछ भाग को विमुक्त करने के लिए मैसर्स के रहेजा युनिवर्सल प्राइवेट लिमेटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि इस मामले में विकासक 20.654 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अनुमोदित एसईजेड के कुछ अंश अर्थात 10.13 हेक्टेयर को विमुक्त करना चाहता है। इस भूमि को निकालने के बाद भी विकासक के पास आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के तहत आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि है। यह देखते हुए कि विकासक किसी यूटि को आकर्षित करने में समर्थ नहीं है और उसने यह भी बताया है कि अब तक अधिसूचित एसईजेड में कोई विकास / निर्माण कार्य नहीं हुआ है तथा उन्होंने कोई राजकोषीय लाभ प्राप्त नहीं किया है, अनुमोदन बोर्ड ने इस शर्त के अधीन विकासक के अनुरोध पर विचार करने का निर्णय लिया कि विकास आयुक्त एसईईपीजेड यह प्रमाणित करें कि विकासक ने सभी केन्द्रीय एवं राज्य देय लौटा दिए हैं। वर्तमान के

लिए, अनुमोदन बोर्ड द्वारा विमुक्तीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई तथा विकास आयुक्त का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

(iii) हजीरा, गुजरात में इंजीनियरिंग क्षेत्र एसईजेड में क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स एस्सार हजीरा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मैसर्स एस्सार हजीरा एसईजेड लिमिटेड द्वारा हजीरा, गुजरात में 247.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकसित इंजीनियरिंग क्षेत्र एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 28 सितंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में क्षेत्रफल को संशोधित करके 218.4258 हेक्टेयर किया गया। अब विकासक ने उक्त एसईजेड में 13.3283 हेक्टेयर शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। उप समाहर्ता तथा विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सूरत ने प्रमाणित किया गया है कि विकासक 13.3283 हेक्टेयर की विधिक एवं भारमुक्त भूमि का कब्जाधारक है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि एक संयुक्त सर्वेक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि एसईजेड में ऐसे अंश हैं जो डीटीए और एसईजेड दोनों द्वारा प्रयुक्त हो रहे हैं। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने बताया कि विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा सर्वेक्षण किया गया है तथा भूमि संस्पर्शी है और अन्य आवश्यकताएं पूरी होती हैं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक द्वारा अनुरोध के अनुसार क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मंजूरी प्रदान की तथा विकास आयुक्त के कार्यालय तथा स्थानीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी।

(iv) रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में सेवा एसईजेड में क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक के पास 139.83 हेक्टेयर की अधिसूचित भूमि है तथा उन्होंने 63.70 हेक्टेयर की और भूमि शामिल करने का अनुरोध किया है। शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि का कुछ भाग मुंबई - पुणे एक्सप्रेसवे के अधीन है और कुछ भाग बिखरा हुआ है। बेहतर होगा कि विकास आयुक्त द्वारा भूमि का फिर से निरीक्षण किया जाए और रिपोर्ट दाखिल की जाए। तथापि, विकास आयुक्त, एसईईपीजेड के अनुरोध पर पहले फाइल पर प्रस्ताव की जांच करने और फिर प्रस्ताव पर विचार करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 34.8 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) महादेवपुरा, केआर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर को शामिल करके क्षेत्र को परिवर्तित करने के लिए मैसर्स बैगमाने कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने महादेवपुरा, केआर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर को शामिल करके क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स बैगमाने कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 34.9 : हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अपने क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का लोकेशन परिवर्तित करने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि 10.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टट्टीयानारम गांव, हयातनगर, जिला रंगारेड्डी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स पार्श्वनाथ डवलपर्स लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 12 जुलाई, 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 30 जुलाई, 2007 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। इसके बाद औपचारिक अनुमोदन 22 अगस्त 2007 को मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड के नाम में अंतरित किया गया। विकासक ने 8 अप्रैल, 2009 के संचार के माध्यम से निवेदन किया है कि उन्होंने अपने नाम में भूमि अंतरित कराने के लिए एपीआईआईसी को आवश्यक भुगतान करने का वचन दिया है परंतु कुछ कानूनी बाधाओं के कारण भूमि का अंतरण नहीं हो सकता है। एपीआईआईसी ने फेज 3, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, कराकपटला गांव, मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में 10.11 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। विकासक ने यह भी बताया है कि चूंकि उन्होंने यह पाया कि नई भूमि एसईजेड परियोजना के लिए उपयुक्त है और चूंकि यह जैव प्रौद्योगिकी पार्क के अंदर है इसलिए उन्होंने भूमि आवंटित करने के लिए 25 नवंबर, 2006 को एपीआईआईसी में आवेदन किया। उनको 10 मई 2007 को भूमि आवंटित की गई तथा 11 जुलाई 2007 को कब्जा भी दे दिया गया। अब विकासक लगभग 2 साल बीत जाने के बाद लोकेशन में परिवर्तन के लिए अनुरोध कर रहा है।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने लोकेशन को फेज 3, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, करकापाटला गांव, मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश, टट्टीनारम गांव, हयातनगर, जिला रंगारेड्डी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से फेज 3, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, करकापाटला गांव, मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में परिवर्तित करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 34.10 : साइबर सिटी एसईजेड, गुड़गांव से प्रस्तावित मेट्रो कोरिडोर को गुजरने देने के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि उपर्युक्त एसईजेड 10.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 10 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना के समय, विकास आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार भूमि संस्पर्शी और खाली थी। बाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) और आईटीएनएल ईएनएसओ रेल सिस्टम लिमिटेड (आईईआरएस), आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स (इंडिया) लिमिटेड (आईटीएनएल) और डीएलएफ के कंसोर्टियम द्वारा मेट्रो कोरिडोर का प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव के अनुसार, मेट्रो कोरिडोर पूरी तरह एलिवेटेड होगा और एसईजेड से गुजरेगा। एसईजेड क्षेत्र के अंदर 5 से 6 पियर बनाए जाएंगे। पियर के निर्माण की लागत पूरी तरह कंसोर्टियम द्वारा वहन की जाएगी तथा एसईजेड नीति के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चूंकि कोरिडोर एलिवेटेड होगा, इसलिए जिस भूमि पर पियर का निर्माण होगा वह डीसीसीडीएल के स्वामित्व में बनी रहेगी। निर्माण प्रक्रिया के दौरान कोरिडोर के दोनों ओर बैरिकेड लगे होंगे। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद, मेट्रो ट्रैक के नीचे आना जाना संभव होगा, अत: भूमि की सन्निकटता बनी रहेगी। निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर एसईजेड से व्यक्तियों या सामग्रियों का कोई मूवमेंट नहीं होगा।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने साइबर सिटी एसईजेड, गुड़गांव से प्रस्तावित मेट्रो कोरिडोर को गुजरने देने के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड को अनुमति प्रदान की।

मद संख्या 34.11 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाना - तीन साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड का प्रस्ताव तथा 7 अप्रैल 2008 के बाद वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओरियन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि तीन बार अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद विकासक सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित कराने में समर्थ नहीं हुए हैं।

अत: उचित होगा कि दोनों विकासकों को राज्य सरकार की सिफारिशों के साथ नए सिरे से आवेदन करने की सलाह दी जाए ताकि उनके नए प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने पर विचार किया जा सके।

मद संख्या 34.13 : प्लाट नंबर 3, सेक्टर 143 ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स डायमंड साफ्टवेयर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया औपचारिक अनुमोदन वापस लेना

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक द्वारा नोएडा प्राधिकरण को भूमि लौटाए जाने पर औपचारिक अनुमोदन वापस ले लिया गया है।

मद संख्या 34.14 : अधिकृत प्रचालनों के संबंध में गतिविधियों / यूटिलिटीज के अनुमोदन के लिए मैसर्स सीरम बायो फार्मा पार्क एसईजेड, पुणे में सह विकासक मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक ने एसईजेड में यूनिटों को निम्नलिखित औद्योगिक यूटिलिटीज तथा अवसंरचना सहायता केन्द्रीय रूप से प्रदान करने का प्रस्ताव किया है :

1. 75 टन प्रति घंटा रॉ स्टीम का उत्पादन एवं वितरण
2. 25 टन प्रति घंटा प्योर स्टीम का उत्पादन एवं वितरण
3. 2000 घन फीट प्रति मिनट कंप्रेस्ड एयर का उत्पादन एवं वितरण
4. 60 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा पानी का शुद्धीकरण और शुद्ध जल का वितरण
5. 10000 घन मीटर प्रति घंटा पेयजल का भंडारण एवं वितरण
6. 36000 लीटर प्रति घंटा इंजेक्शन के लिए डिस्टिल्ड वाटर का उत्पादन एवं वितरण
7. 72000 किलोवाट प्रति घंटा हॉट वाटर का उत्पादन एवं वितरण
8. नाइट्रोजन गैस का भंडारण एवं वितरण
9. एलपीजी गैस का भंडारण एवं वितरण
10. बहिःस्रावी शोधन सुविधा
11. साफ सफाई सेवा तथा पर्यावरण को जीवाणु मुक्त रखने की सेवाएं

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रस्ताव में उल्लिखित सुविधाएं ऐसी हैं कि उनको केवल प्रसंस्करण क्षेत्र में किसी यूनिट द्वारा प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि एसईजेड में यूनिटों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के सिलसिले में उनकी आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि एनएफई का बाध्यता पूरी की जाएगी। मैसर्स रैनबैक्सी के मामले में विकासक से अधिकृत प्रचालनों की प्रकृति की जांच करने के लिए कहा गया तथा जहां भी गतिविधियां उनकी विनिर्माण यूनिट से संबंधित हैं, यूनिट अनुमोदन समिति का अनुमोदन लिया जाना चाहिए। चर्चा के दौरान पता चला कि एक बड़ी फर्मा यूनिट के लिए प्रस्तावित गतिविधियां अन्य सेवाओं जैसे कि बिजली या पानी प्रदान करने के समतुल्य अवसंरचना के रूप में सामान्य सेवाओं जैसी हैं। अत: प्रस्तावित गतिविधियां किसी विशिष्ट उत्पाद के लिए यूनिट की बजाय सह विकासक की गतिविधियों के रूप में हैं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की क्योंकि अवसंरचना फर्मा एसईजेड के लिए है जो जीवन रक्षक वैक्सीन का निर्माण कर रहा है तथा यह भी निर्दिष्ट किया कि अन्य मामलों के लिए ऐसी सुविधा मामला दर मामला आधार पर अनुमोदित की जाएगी।

मद संख्या 34.15 : एलओपी के नवीकरण के लिए मैसर्स प्रिसीजन पोलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, फाल्टा एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

एसईजेड नियमावली के नियम 18(4) (क) के अनुसार, प्लास्टिक स्क्रैप / अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में शामिल यूनिटों के एलओए की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर निर्णय अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्ताव फाल्टा एसईजेड में एक यूनिट के संबंध में था जिसे प्लास्टिक फ्लोर, रिप्रोसेस्ड फ्लोर, स्वीपिंग ग्रैनूल आदि के निर्माण एवं निर्यात के लिए 18 दिसंबर 1996 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसने 1998 में उत्पादन शुरू किया तथा दो बार एलओपी की अवधि बढ़ाई गई है और वर्तमान अवधि 2 जून 2009 को समाप्त हो रही है। जून 2008 से मार्च 2009 के बीच पिछले ब्लाक में यूनिट ने 10.41 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया है। इसने 800

अकुशल मजदूरों को रोजगार दिया है जिसमें से 60 प्रतिशत महिलाएं हैं। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि 16 मई 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक के दौरान प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिटों के लिए एलओपी के नवीकरण की अवधि एक साल के लिए इस वजह से बढ़ाई गई कि अनेक लोग रोजगार के लिए इन यूनिटों पर निर्भर हैं। विकास आयुक्त, फाल्टा ने अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है तथा यह भी सुझाव दिया है कि यूनिट की उत्पादन क्षमता 36000 मीट्रिक टन से घटाकर 24000 मीट्रिक टन की जाए। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने एक साल के लिए अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया।

मद संख्या 34.16 : सह विकासक के अनुमोदित हो चुके प्रस्तावों के संबंध में सह विकासक करार प्रस्तुत करना (23 फरवरी, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक की आस्थगित मद संख्या 6)

(i) सिलोखेड़ा, गुड़गाव, हरियाणा में डीएलएफ लिमिटेड द्वारा विकसित करने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) रामापुरम, चेन्नई में इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड (डीसीडीएल) द्वारा आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

23 फरवरी, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक की आस्थगित मद संख्या 5 (vi) से (ix) - सह विकासक के लिए अनुरोध

(v) सिलोखेड़ा, डीएलएफ सिटी गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vii) सेक्टर 24 और 25 ए, डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) रामापुरम, चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 23 फरवरी, 2009 को आयोजित बैठक में उसी विकासक अर्थात मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड के संबंध में सह विकासकों के चार प्रस्तावों को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया था कि सह विकासक करार में अंतरण एवं हैंड ओवर के विलेखों का उल्लेख है, जो यह कहता है कि विकास शुल्क के भुगतान पर सह विकासक एसईजेड भवनों का स्वामी होगा जो एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली की भावना के विपरीत है। इस समुक्ति के बाद प्रस्ताव आस्थगित कर दिए गए तथा फाइल पर मामले की जांच करने का निर्णय लिया गया। वाणिज्य विभाग ने सीबीडीटी के परामर्श से फाइल पर इन प्रस्तावों की जांच की और सह विकासक द्वारा करारों में संशोधन किए गए। प्रस्तावों को इस शर्त के अधीन अनुमोदित किया गया कि पट्टा करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का लागू आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा।

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि उपर्युक्त अनुमोदन फाइल पर दिया गया है।

मैसर्स सियान बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से प्रस्तावों का दूसरा सेट पहले अनुमोदित प्रस्तावों के समान है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने सीबीडीटी द्वारा निर्धारित समान शर्तों के साथ मैसर्स सियान बिल्डर्स संबंध में सह विकासक करारों को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 34.17 : अधिकृत गतिविधियों आदि जैसे मामलों पर विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की एक उप समिति को शक्तियों का प्रत्यायोजन

राजस्व विभाग ने बताया कि वे प्रस्ताव की जांच नहीं कर सके क्योंकि समय बहुत कम था। निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे पर वाणिज्यि विभाग द्वारा बुलाई जाने वाली बैठक में विचार किया जा सकता है। तद्नुसार, इस मद को आस्थगित कर दिया गया।

.....

(i) वाणिज्य विभाग को संबंधित प्राधिकरणों से औपचारिक अनुमोदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा सन्निकटता स्थापित करने के लिए कार्य तभी शुरू किया जाएगा जब अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाएंगे।